

प्रेषक

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, 30प्र0लखनऊ।

2-समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-14 अप्रैल, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012(यथा चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-मेमों/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-03.03.2016 के माध्यम से प्राप्त सुझाओं पर सम्यकविचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1354/26-3-2014-रिट(23)/2011, दिनांक-20.09.2014 द्वारा पूर्व में निर्गत 'उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (तृतीय संशोधन) नियमावली-2014' के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन करते हुये 'उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016' निर्गत की जा रही है।

2- अतएव 'उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012(यथा चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016' की अनुमोदित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संशोधित नियमावली के प्राविधानानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा नियमावली की प्रतियां समस्त जिलाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुये समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पू0सं0-85/2016/आर-1214(1)/26-3-2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/माध्यमिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/विकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, 30प्र0शासन।
- 3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 5- कुल सचिव, 30प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 30प्र0।
- 7- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, 30प्र0लखनऊ।
- 8- गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-05/2016/आर-1214/26-3-2016-रिट(23)/2011 का संलग्नक
उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016

क्र. सं.	वर्तमान नियम		प्रतिस्थापित नियम	
	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2014 कहायेगी।	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 कहायेगी।
1	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सामान्य वर्ग के गरीब माता-पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।	उद्देश्य	यथावत्
2	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राये आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हों।	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राये आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हों।
3	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई 2014 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान 2016-17 शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
4	परिभाषा		परिभाषा	
	i- राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।	(i)राज्य सरकार	यथावत्
	ii-अभ्यर्थी	"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।	(ii)अभ्यर्थी	यथावत्
	(iii) निदेशालय	"निदेशालय" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।	(iii) निदेशालय	यथावत्
	(iv) निदेशक	"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।	(iv) निदेशक	यथावत्
	(v) वित्त नियन्त्रक	"वित्त नियन्त्रक" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।	(v) वित्त नियन्त्रक	यथावत्
	(vi) नोडल अधिकारी	"नोडल अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी से है।	(vi) नोडल अधिकारी	यथावत्
	(vii) राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार	"राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार" का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है।	(vii) राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार	यथावत्
	(viii) शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में	viii शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	यथावत्

2

	संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।		
(ix) सामान्य वर्ग	"सामान्य वर्ग" का तात्पर्य उन जाति समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अन्तर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।	(ix) सामान्य वर्ग	यथावत्
(x) बैंक	बैंक का तात्पर्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं PFMS साफ्टवेयर के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो।	(x) बैंक	बैंक का तात्पर्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो तथा संबंधित बैंक पीएफएमएस में पंजीकृत हो।
(xi) शैक्षणिक सत्र	शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।	(xi) शैक्षणिक सत्र	यथावत्
(xii) फी सीट	विलोपित	(xii) फी सीट	यथावत्
(xiii) पेड सीट	विलोपित	(xiii) पेड सीट	यथावत्
(xiv) छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियाँ सम्मिलित होंगी— (क) अनुरक्षण भत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्ययन दौरा खर्च (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च (च) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।	(xiv) छात्रवृत्ति का मूल्य	यथावत्
(xv) शुल्क	(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि उमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनिफॉर्म, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जाँच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होंगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।	(xv) शुल्क	यथावत्
	(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली		यथावत्

8W

		अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा ₹0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।		
		(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों (स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा ₹0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।		(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों (स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा ₹0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
		(घ) जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से विशेषज्ञ समिति गठित करके शुल्क निर्धारण करेंगे क्योंकि शुल्क निर्धारण एक तकनीकी कार्य है। सक्षम प्राधिकारी स्तर से ऐसे पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण होने तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के जनपद/मण्डल/प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों, राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा ₹0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।		(घ) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा ₹0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
				(ङ) राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में भी छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान प्रदेश के अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा ₹0-50,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
		(च) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा ₹0-50,000/- में से जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।		यथावत्
अनुमन्य	(छ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण	अनुमन्य		यथावत्

10

	शुल्क के अभिलेखों का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण	के लिए अधिकृत राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों यथा— तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण संबंधी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 जुलाई तक निदेशक समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर संबंधित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि निर्धारित तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विगत वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम की सक्षम स्तर से निर्धारित फीस को ही वर्तमान वर्ष की मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	शुल्क के अभिलेखों का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण	
		(ज) किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सक्षम स्तर से निर्धारित अनुमन्य शुल्क के विवरण का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।		यथावत्
6	अर्हता	छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:- (i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि:- (अ) प्राइवेट संस्थानों में परिशिष्ट "अ" में अंकित प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जहां कक्षा-12 के प्राप्तांको के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बैचमार्क कक्षा-12 की परीक्षा में 60 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधान गैर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे।	अर्हता	छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:- (i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि:- (अ) प्राइवेट संस्थानों में परिशिष्ट "अ" में अंकित प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जहां कक्षा-12 के प्राप्तांको के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बैचमार्क कक्षा-12 की परीक्षा में 60 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधान गैर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे। (ब) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/ संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। (स) डी0 ए0पी0जे0 अखुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध

Q

	(ब) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण, शुद्धिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य नहीं होगी।		शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से नामांकित किया गया हो अथवा जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विवरण ऑनलाईन अंकित करने के बाद विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त किया हो।
	(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेंड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क- विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख- निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग- ट्रेनिंगशिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ- सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ- पत्राधार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। ज-कामर्शियल पाइलेट लाइसेन्स के पाठ्यक्रम (सी0पी0एल0)		यथावत्
	(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।		यथावत्
	(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ-इण्टर आर्ट्स करने के बाद इण्टर साइंस करने लगें या बी0ए0 करने के बाद बी0काम करने लगें या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगें।		यथावत्
	(v) ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगें, जैसे- बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगें।		यथावत्
	(vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुददेशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेंड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वीं कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं		यथावत्

		होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहाँ ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वीं कक्षा की परीक्षा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।		
		(vii) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनेजिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।		यथावत्
		(viii) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।		यथावत्
		(ix) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका(स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएँ इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।		यथावत्
		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जायेगी, जिन्होंने कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह-1 (परिशिष्ट क में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जायेगी, जिन्होंने कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
		(xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।		यथावत्
		(xii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।		यथावत्
		(xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के		यथावत्

		लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/ करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।		
		(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।		यथावत्
		(xv) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।		यथावत्
			(xvi)	यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क

				प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
7	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	प्रदेश के अन्दर दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रदेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।
8	माता-पिता/अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य	माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे:- (i) माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय का घोषणा पत्र देना होगा।	माता-पिता / अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य	विलोपित
		(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, उनके नौकरी में न होने की दशा में समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।		(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
		(iii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।		यथावत्
		(iv) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।		यथावत्

2

		(V) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।		विलोपित
9	मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्समास्टर	(i) प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबिल शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।	मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्समास्टर	(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से हटाया जायेगा।
		(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा।		यथावत्
		(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/ अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।		

		आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।		
		(iv) जनपद में संचालित बैंक, बैंक शाखाओं तथा उनके आईओएफओएस0 कोड का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित किया जायेगा। बैंक, बैंक शाखाओं के नाम व उनके आईओएफओएस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में शामिल कराने एवं आईओएफओएस0 कोड की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।		यथावत्
		(v) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जॉच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर), समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।		(v) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जॉच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।
		(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गीकृत पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या एवं वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबल शुल्क (फीस) आदि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यू.पी.टी.यू. ए. आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से एवं संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रमों के प्रशासकीय विभागों/शिक्षण संस्थानों/ शिक्षा अधिकारियों/समाज कल्याण निदेशालय से प्राप्त फीस निर्धारण संबंधी आदेशों से मिलान कर त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटा में शिक्षण संस्थानों द्वारा अंकित की गयी पाठ्यक्रम की फीस की धनराशि को		(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गीकृत स्वीकृत सीटों की संख्या, शुल्क आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरान्त उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किया जायेगा।

80

		सत्यापित करते हुए पूर्णतया संतुष्ट होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जॉब सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर), समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके बुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर), समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।		
10	अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें।	(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तदनु रूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट "क" में अंकित है।	अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें।	यथावत्
		(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।		यथावत्
11	छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता कम का निर्धारण।	(i) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। (ii) विलोपित (iii) विलोपित (iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों	छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता कम का निर्धारण।	यथावत् (ii) यथावत् (iii) यथावत् (iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता कम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन भरे

on

को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अभ्यर्थी के नाम के बैंक बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :-

(क)-केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/ निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राये।

(ख)-केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राये।

(ग)-निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राये।

नोट:- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम (क) से (ग) तक जारी रहेगा।

(V) प्रत्येक वरीयता क्रम के अन्दर छात्रों का चयन उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:-

1-(i)-अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय के अंक:-

क्र० सं०	आय स्लैब (रु० में)	वेटेज अंक
1	12000 तक	10
2	12000 से अधिक 24000 तक	8
3	24000 से अधिक 36000 तक	6
4	36000 से अधिक 48000 तक	4
5	48000 से अधिक	2

ii -विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के अंक

क्र० सं०	विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत	वेटेज अंक
1	33% तक	2
2	33% से अधिक 45% तक	4
3	45% से अधिक 60% तक	6
4	60% से अधिक	8

गये आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये छात्र-छात्राओं को उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके भुगतान की जायेगी:-

(क)-केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/ निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राये।

(ख)-केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राये।

(ग)-निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राये तथा राज्य विश्वविद्यालयों के स्वयत्तपोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राये।

नोट:- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र-छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र-छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी-"क" से "ग" तक जारी रहेगा।

(V) प्रत्येक वरीयता क्रम के अन्दर छात्रों का चयन विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:-

1-(i)-विलोपित

ii -विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के अंक

क्र० सं०	विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत	वेटेज अंक
1	33% तक	2
2	33% से अधिक 45% तक	4
3	45% से अधिक 60% तक	6

	75% तक	
5	75% से अधिक	10

iii-समूहवार पाठ्यक्रम के अंक

क्र० सं०	समूहवार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक
1	समूह-1	1
2	समूह-2	4
3	समूह-3	7
4	समूह-4	10

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्तानुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। छात्र/छात्रा के परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम, तीनों के संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा तदोपरान्त घटते हुये क्रम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जायेगा।

2- छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

3- इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

4- छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।

(vi) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष

4	60% से अधिक 75% तक	8
5	75% से अधिक	10

iii-समूहवार पाठ्यक्रम के अंक

क्र० सं०	समूहवार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक
1	समूह-1	1
2	समूह-2	4
3	समूह-3	7
4	समूह-4	10

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्तानुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। छात्र/छात्रा के विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम, दोनों के संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा, तदोपरान्त घटते हुये क्रम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जायेगा।

2- छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

3- इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

4- छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।

(vi) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी अनुदान भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अभ्यर्थियों को वितरित की जायेगी।

5

	धनराशि हो नये अभ्यर्थियों को वितरित की जायेगी- (i) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नवीनीकरण हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु वरीयता कम 11 (iv) में वर्णित वरीयता कम में एवं बिन्दु (v) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा तदोपरान्त घटते हुए कम में वितरण किया जायेगा बशर्त कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो। (ii) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये कम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा। (iii) इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। (iv) छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा। नोट- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, आय/प्राप्तांक/समूह के संयुक्त वेटेज, आय, अल्फाबेटिक आधार पर प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय।	(i) अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नवीनीकरण हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्ताव-11 (iv) में वर्णित वरीयता श्रेणी के कम में अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। किसी वरीयता श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर बिन्दु (v) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। तदोपरान्त घटते हुये कम में वितरण किया जायेगा बशर्त कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो। (ii) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये कम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा। (iii) इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। (iv) छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा। नोट-(1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, प्राप्तांक/समूह के संयुक्त वेटेज, आय, अल्फाबेटिक आधार अथवा "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय। नोट-(2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समय वितरण की हस्तक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निर्देशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। नोट-(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता कम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सूचि
--	---	---

				भेजीयार मांग (जनपदकर) के विवरण की हस्ताक्षरित हाई एवं सॉफ्ट कापी जनपदों को धनावटन हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
12	दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव	(I) इस योजना में अर्ह छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा संशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार फीस/शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस नियमावली/योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेन्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।	दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव	यथावत्
		(II) सामान्य वर्ग छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नये निर्धारित प्रारूप पर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु सम्पूर्ण विवरण पुनः भरने के स्थान पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन/संशोधित सूचनाएं ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियों आनलाइन सही-सही भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट-‘ग’ के अनुसार संलग्न कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के 07 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-‘घ’ के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।		यथावत्
		(III) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।		यथावत्

28

	1-संस्था प्रमुख/ निदेशक/ प्राचार्य/ प्रधानाचार्य- अध्यक्ष 2-संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक - सदस्य 3-संस्था के वरिष्ठतम अनु0जाति के प्राध्यापक- सदस्य अथवा संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में) अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)		
	(IV) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडबैक आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट समस्त संलग्नकों सहित, संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी परिशिष्ट 'छ' के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र-छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।		(IV) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा आनलाइन फीडबैक आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट समस्त संलग्नकों सहित, संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी परिशिष्ट 'छ' के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र-छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।
	(V) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिगनेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी। 1-शिक्षण संस्थान स्तर पर:- (अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। (ब) छात्र-छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क		यथावत्

20

में।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

2-जनपद स्तर पर:-

क- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:-

1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

2-शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में।

3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित)हार्ड कापी में।

4- छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सृजित वेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में। वेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

6- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सस्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

7- शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)।

	(ख) जनपदीय एन0आई0सी0 स्तर पर:- 1- छात्र-छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों, जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये गये डाटा का विवरण तथा बेंनीफिशरी फाईल/ ट्रांजेक्शन फाईल/ बैंक खातों में अन्तर्गत छात्रवृत्ति/जंक व सस्पेंड डाटा का विवरण साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में।		
	(VI) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता, पाठ्यक्रम हेतु अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण किया जायेगा तथा आनलाइन डाटा संस्तुत एवं अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरान्त शिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्नकों व अपनी संस्तुति सहित शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक, समाज कल्याण द्वारा एन0आई0सी0(स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यू.पी.टी.यू. ए. आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों, बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन तथा बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्सकर डुप्लीकेट डाटा की छटना व परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा पृथक-पृथक सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।	(VI) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि तक आय, एवं निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के पत्र में अंकित निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्रा के बोर्ड/ विश्वविद्यालय के फंजीयन कमांक आदि का मिलान सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से डुप्लीकेट डाटा की छटना कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।	
	(VII) जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:- 1- जिलाधिकारी - अध्यक्ष 2- मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष 3- जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य सचिव 4- जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी - तकनीकी सदस्य	(VII) जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग की दशमोत्तर अनुक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:- 1- जिलाधिकारी - अध्यक्ष 2- मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष 3- मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/अथवा नामित प्रतिनिधि - सदस्य 4- जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी - तकनीकी सदस्य 6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी - सदस्य 7- जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य सचिव	

Q

	8-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी - सचस्य यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।	यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/ वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर अनुसूचना मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।
	(VIII) (1)- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित एवं अग्रसारित तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त आनलाइन डाटा को समस्त छात्रों के विवरण सहित सूची की हार्डकापी जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:- क- शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित किये जायेंगे। ख- जिला समाज कल्याण अधिकारी आनलाइन शिक्षा अधिकारियों से अग्रसारित डाटा को आनलाइन अग्रसारित करेंगे। ग- जिला समाज कल्याण अधिकारियों से आनलाइन अग्रसारित डाटा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ (स्टेट यूनिट) द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से समस्त जनपदों के डाटा का परीक्षण किया जायेगा तथा उक्तानुसार परीक्षणोपरान्त शुद्ध एवं जंक डाटा जनपदों के लागिन पर उपलब्ध रहेगा। घ- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षाधिकारियों से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। ङ- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हार्डकापी पर एवं आनलाइन भी प्रदान की जायेगी, जिससे जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा	(VIII)(1) जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र स्टेट यूनिट, लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त आनलाइन डाटा (शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा) को छात्रों के विवरण विषयक सूची की हार्ड कापी सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:- क- विलोपित ख- परीक्षणोपरान्त शुद्ध डाटा से सम्बन्धित छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से सूची व नोटशीट पर प्राप्त की जायेगी। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित छात्रों की सूची की हार्डकापी भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जायेगी। ग- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से साइट पर आनलाइन उपलब्ध कराये गये सन्देहास्पद डाटा से सम्बन्धित छात्रों के विवरण विषयक सूची तथा सम्बन्धित आवेदन पत्र संलग्नकों सहित हार्डकापी में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा आवश्यक परीक्षण या आवश्यकता होने पर जांच कराकर सन्देहास्पद मामलों में अपात्र होने की स्थिति में छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अस्वीकृति प्रदान की जायेगी। समिति द्वारा अस्वीकृति छात्रों की सूची की हार्ड कापी व नोटशीट पर प्रदान की जायेगी। घ- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हार्डकापी से करेगी तथा रेण्डमली अपने स्तर से स्थलीय जांच भी करायेगी। ङ- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की स्वीकृति/अस्वीकृति से सम्बन्धित डाटा छात्रवार आनलाइन सम्बन्धित वेबसाइट पर पूर्ण सजगता के साथ अपने डिजीटल सिग्नेचर से तदनुसार वेरीफाई करते हुये लाफ किया जायेगा।

	अपने डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हार्डकापी से एवं स्थलीय जॉब अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी। घ- यही प्रक्रिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करते हुए पुनः अपनायी जायेगी तथा शासन द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी। 2- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एनआईसी (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 3- इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ही ई-पेमेन्ट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा। 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से प्राप्त सस्पेक्ट डाटा में यदि किसी छात्र का बैंक खाता, आई0एफ0एस0कोड तथा पाठ्यक्रम की स्वीकृत फीस की धनराशि त्रुटिपूर्ण	च- यही प्रक्रिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करने के मामले में भी अपनायी जायेगी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी। 2- यथावत् 3- यथावत् 4- यथावत् 5- विलोपित
--	---	---

	पायी जाती हैं तो डिजीटल सिग्नेचर से लॉक करने से पूर्व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की लिखित अनुमति छात्रवार प्राप्त कर संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराकर शुद्ध डाटा ही डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। 6- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण हो जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी।		6- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण होता है या किसी पात्र अभ्यर्थी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निरस्त कराया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु	(IX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा:- 1- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुकमांक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 2- छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 3- छात्र/छात्राओं के विवरण को राज्य स्तर पर आपस में मिकिसिंग कर सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर लिया जायेगा। 4- छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय/बोर्ड पंजीयन के कमांक का मिलान संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करा लिया जायेगा। 5- छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क के रूप में अंकित की गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क स्ट्रक्चर में अंकित शुल्क की धनराशि से कराया जायेगा।	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु	(IX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा:- 1- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुकमांक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 2- छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र के जारी करने का सत्यापन एवं उसमें अंकित विवरण यथा-आय की धनराशि, प्रमाण-पत्र धारक का नाम, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 3- छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर पी0एफ0एम0एस0 रिस्पांस के साथ जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा। 4- छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय/बोर्ड पंजीयन के कमांक का मिलान सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करा लिया जायेगा। 5- छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क के रूप में अंकित की गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क स्ट्रक्चर में अंकित शुल्क की धनराशि से कराया जायेगा।
	(X) अभ्यर्थी को अनुमन्त्र छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उसके बचत खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित		यथावत्

20

		कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष एकमुश्त किया जायेगा।		
		(XI) इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।		यथावत्
		(XII) छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।		यथावत्
		(XIII) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार सभी जनपदों का एक संकलित बिल तैयार कर जवाहर भवन कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी, जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी,		(XIII) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जवाहर भवन, कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी, जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी,

8

	टोकन नंबर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी जिसके द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण सीधे छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में हो जायेगा। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवैलिड बेंनीफिशरी जनपदों के लागिन पर उपलब्ध रहेगी जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।	जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा ट्रांजेक्शन को अप्रुव करने के उपरान्त ट्रांजेक्शन फाइल पुनः PFMS को प्राप्त होगी। PFMS द्वारा उक्त ट्रांजेक्शन फाइल को अप्रुव करते हुए ट्रेजरी लागिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात् कक्षाधिकारी द्वारा ट्रांजेक्शन फाइल अप्रुव किया जायेगा, जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे अन्तरित हो जायेगी। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवैलिड बेंनीफिशरी जनपदों के लागिन पर रहेगी, जिसे निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपनी डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना)/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
	(XIV) एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बेंनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/कोषागार/ पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रांसफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।	यथावत्
	(XV) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करेंगे।	(XV) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित अधिकृत संस्था से प्राप्त करेंगे।
	(XVI) वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेंनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी। उक्तानुसार जनरेट बेंनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक का होगा।	यथावत्
	(XVII) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी	यथावत्

		विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।		
13	भुगतान व्यवस्था	(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन- पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।	भुगतान व्यवस्था	यथावत्
		(ii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की मांग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राज्य सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बेंनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेन्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध बेंनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एनआईओसीओ लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।		(ii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की मांग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बेंनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेन्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेंनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एनआईओसीओ लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।
		(iii) उक्तानुसार आनलाइन सृजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेन्ट (e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक धनराशि अनिवार्य रूप से अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेन्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अद्वितीय राशय प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अद्वितीय राशय प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं		(iii) उक्तानुसार आन लाइन सृजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेन्ट (e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेन्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अद्वितीय राशय प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अद्वितीय राशय प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं

		धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में निर्धारित तिथि तक जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। बैंक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् 01 माह के अन्दर वित्त नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना), समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।	उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् 01 माह के अन्दर वित्त नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) समाज कल्याण, निर्देशालय, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।
		(iv) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग/कोषागार द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।	यथावत्
		(v) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षाएँ पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।	यथावत्
		(vi) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दी जायेगी, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान की गयी थी।	यथावत्
14	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(i) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के वरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्चतर	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण यथावत्

		कक्षा में पहुँचता रहे। समूह-2, 3 एवं 4 में किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।		
		(ii) समूह-1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो भी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।		यथावत्
		(iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके (संस्था के प्रमुख) द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।		यथावत्
		(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।		यथावत्
				(v) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।
15	छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें	(i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्यवहार जैसे-हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।	छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें	यथावत्
	अनियमिततायें पाये जाने पर	(ii) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षणसंस्थानों,	अनियमितता यें पाये जाने	(ii) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं अन्य संसिप्त व्यक्तियों के

FIR दर्ज कराना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।	अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को "काली सूची" में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। 1- मास्टरडाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर। 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर। 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर। 4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं, माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर। 6- छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़ कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 7- छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर। 8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/ शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तर्गत कराने अथवा अन्तर्गत कराने का प्रयत्न करने पर।	पर FIR दर्ज कराना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।	विरुद्ध जांचोपरांत निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर सम्बंधित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/ प्रधानाचार्यों/ शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। 1-मास्टरडाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर। 2-शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर। 3-शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/ विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर। 4-छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर। 6- छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/ शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 7-छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर। 8-जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तर्गत कराने अथवा अन्तर्गत कराने का प्रयत्न करने पर। 9-जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में गम्भीर
--	--	---	--

	छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तर्लित कराने अथवा अन्तर्लित कराने का प्रयास करने पर।		अनिवार्यतापूर्वक पाये जाने पर।
	विलोपित		यथावत्
	(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है, तो छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।		यथावत्
		16- छात्र/ छात्राओं के दायित्व	(i) सामान्य जानकारी हासिल करना:- 1-प्रिन्ट किये गये नमूना आवेदन पत्र पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही-सही भर लें ताकि आनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहे। 2-आनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां भी अंग्रेजी अंक प्रणाली में अंकित की जानी है। 3-प्रविष्टियां भरने में स्पेशल करेक्टर यथा -#, \$, %, ^, &, *, (), -, = इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।
		(ii) आनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना:-	1-प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
			2-रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियां वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।
			3- रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जनरेट होगा एवं स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन रिलप प्रिंट करने का विकल्प होगा।
			4- रजिस्ट्रेशन में भरे गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिन्ट विकल्प से अपना रजिस्ट्रेशन रिलप प्रिन्ट करना होगा।
		(iii) आनलाइन आवेदन करना:-	1-सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदक को छात्रवृत्ति के लिये आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
			2-इसके लिये निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर जाकर आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्धारित कालम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरें।
			3-इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये कोड को भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। प्रविष्टियां सही होने पर स्क्रीन पर आनलाइन आवेदन का प्रारूप खुल जायेगा।
			4-इस प्रारूप में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनाएँ स्वतः प्रदर्शित होंगी जो आवेदक द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थी, इस प्रारूप में आवेदक द्वारा बांछित कालम में सूचनाएँ सही-सही भरी जायें।
			5-जिस कालम के सामने स्टार (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कालम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।
			6-छात्र-छात्रा आवेदन फार्म में अपने नाम के बैंक खाते का ही विवरण भरेगा। यदि अवसरक है तो उसके माता-पिता/अभिभावक की संसद्भाव में बैंक में खाता खोला गया हो। किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता खोल करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।
			7-इस प्रकार आवेदन में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरान्त

				Submit बटन पर क्लिक करें। इसके उपरान्त अपने भरे हुए आवेदन का एक प्रिन्ट-आउट निकालें जिसके लिये स्क्रीन पर दिये गये बटन पर क्लिक करें। प्रिन्ट किये गये आवेदन को भली भाँति जाँच लें, यदि समस्त प्रविष्टि सही है तो पुनः होम-पेज पर अपने 'फोटो अपलोड करें' पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म-तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक टाइप करें।
				8-इसके बाद स्क्रीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 KB की एक फोटो, जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हों, स्कैन करके कंप्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिये।
				9-फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात् अपना फोटो देखें, विकल्प पर क्लिक करें जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक करें।
				10- Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा, अन्यथा फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं स्वतः निरस्त हो जायेगा।
				11- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अन्यथा द्वारा किया गया आवेदन लाक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।
			(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना	इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट निकाल लें एवं इस प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वांछित दस्तावेजों जैसे- आय प्रमाण पत्र, पदवी पत्र, बैंक की पासबुक की कॉपी जिस पर खाता संख्या एवं आईडीएफएल कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जमा करना आवश्यक है।
			(v) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-	1-संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
				2-निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये "आवेदन की स्थिति जानें" को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।
			(vi) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-	छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। 1- आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने पर।
				2-शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करने पर।
				3-छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत करने पर।
				4-बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।
			(vii)	प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार कार्ड या

Qw

		छात्र/छात्राओं द्वारा आधार कार्ड या इनरोलमेंट नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना एवं अभिलेखों को डिजीटल लाकर में रखना-	इनरोलमेंट नम्बर अंकित करना होगा तथा अपने अभिलेखों को डिजीटल लाकर में रखना होगा। इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने समस्त अभिलेखों को स्कैन कराकर निर्धारित प्रक्रियानुसार डिजीटल लाकर में रखा जायेगा जिससे स्कूटी में उनके आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का मिलान किया जा सके।
		16 (i) शिक्षण संस्थान के दायित्व	(i)- शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।
			(ii)- शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से निर्धारित अवधि में लागिन आईडीकार्ड एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
			(iii)- शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण एवं शुल्क आदि को वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर अपडेट करना होगा।
			(iv)- शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विवरण को अपडेट करना होगा।
			(v)- संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट की फोटोकॉपी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। संस्था अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
			(vi)- संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा किया गया है।
			(vii)- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट-"ग" के अनुसार संलग्नक नत्थी किये गये हैं, चेक कर लें।
			(viii)- आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा। उसी प्राप्ति रसीद पर जमा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर कर अपनी संस्था की मुहर लगाकर आवेदक को रसीद दे देगा। आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है? उसे संस्थान द्वारा (✓) किया जायेगा।
			(ix)- शिक्षण संस्था को अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट पर स्कैन फोटो को सत्यापित करना होगा।
			(x)- संस्थान उपरोक्त अभिलेखों के प्राप्ति के पश्चात छात्र/छात्रा के आनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।
			(xi)- अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद 07 कार्य-दिवस के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट जमा किया जायेगा।
			(xii)- आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 07 कार्य-दिवस के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा। तत्पश्चात 07 कार्य-दिवस के अन्दर ही प्रत्येक दशा में शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।
			(xiii)- आनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता

5

			रहेगा उतने की जांच/ मिलान करते रहेंगे।
			(xiv)- शिक्षण संस्था छात्र/छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न बैंक पासबुक की छायाप्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण यथा-नाम, खाता संख्या व आई0एफ0एस0 कोड का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।
			(xv)- अभ्यर्थियों के आनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का आनलाइन सत्यापन कर Submit का बटन क्लिक करेंगे तथा सत्यापित आवेदन पत्रों का अग्रसारित (Forward) कर देंगे।
			(xvi)- जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से reject कर देंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लगिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा डाटा लम्वित नहीं रखा जायेगा।
			(xvii)- संस्थान द्वारा आवेदन पत्र सत्यापित होने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी।
			(xviii)- संस्थान का यह दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व संस्थान-यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भर दिये गये हैं।
			(xix)- सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने एवं जमा करने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल आदि के माध्यम से अवगत करावेंगे।
			(xx)- डाटा के सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। इसलिये संस्थान पर प्राप्त आवेदन पत्रों का लगातार सत्यापन करते रहेंगे एवं समस्त आवेदन पत्रों को अन्तिम तिथि से पूर्व अग्रसारित करने अथवा रिजेक्ट करने का निर्णय लेकर आनलाइन कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।
			(xxi)- छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
			(xxii)- नोडल अधिकारी या शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र के विवरण को स्वयं आनलाइन सत्यापित व अग्रसारित किया जायेगा।
			(xxiii)- जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/ अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये अभिलेखों से नहीं होता है अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु रिजेक्ट कर दिया जायेगा।
			(xxiv)- शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडबैक आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट समस्त संलग्नकों सहित (परिशिष्ट-छ) के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।
			(xxv)- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज ईकाई लखनऊ द्वारा विकसित Search students Detail से छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमिक के आधार पर सत्यापन हेतु छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये विकल्प से प्रत्येक छात्र का सत्यापन करने के उपरान्त सही पाये गये छात्र का ही डाटा संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा।

				(xxvi)- शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र अध्ययनस्त छात्र अगले वर्ष नवीनीकरण का ही काम भरे एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही काम सत्यापित एवं अप्रसारित करेगा। नये छात्र (पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो) को छोड़कर) के रूप में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
				(xxvii)- कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार ऑनलाइन आवेदन काम भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा।
				(xxviii)- शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा यथा-छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर धला गया आदि कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
			जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व	(i)- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करना।
				(ii)- यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है।
				(iii)- शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजीटली लाक कर दिया गया है।
				(iv)- अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना/कराना।
				(v)- अभ्यर्थियों के नाम के बैंक खातों एवं बैंक शाखाओं के आईएफएस कोड (IFSC) का रेण्डमली मिलान ऑनलाइन डाटा सत्यापन से पूर्व कराना।
				(vi)- अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
				(vii)- सक्षम एजेन्सी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।
				(viii)- ऑनलाइन डाटा कीडिंग की मानीटरिंग हेतु आवुक्त/ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अप्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों को बैठक में बुलाकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
				(ix)- छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयवधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।
				(x)- बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।
				(xi)- जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुभ्रमण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत करना।
				(xii)- उक्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त भेजने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

16	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	(i) प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा- माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	(i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करना। शासन द्वारा निर्धारित समयवधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।
		(ii) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क आदि का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा शिक्षण संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।		(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, बैचलर तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजीटली सिग्नेचर से लाक किया जाना।
		(iii) सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के जनपद स्तरीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से नियम-12 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करावेंगे।		(iii) शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकापी निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
			राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के दायित्व	(i) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार करना।
				(ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।
				(iii) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आईडी और पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करावेंगे जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करावेंगे।
				(iv) जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आईडी और पासवर्ड एवं डिजीटल सिग्नेचर एनआईसी या अन्य अधिकृत संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवाना।
				(v) राज्य स्तर पर त्रुटि में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
				(vi) आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना।
			विश्वविद्यालय/परीक्षा नियन्त्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व	(i) सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, दशमांश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे।
				(ii) नोडल अधिकारी सम्बन्धित अधिकृत संस्था से आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर डिजीटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे।
				(iii) नोडल अधिकारी डिजीटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा में संस्था से सम्बन्धित विवरण का सत्यापन कर डाटा लाक करेंगे।
				(iv) सभी विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को XML Format पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

8W

				(v) छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से साफ भी किया जायेगा।
				(vi) विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से साफ डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्रश्नांक का मिलान स्कुटनी के समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
				(vii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।
				(viii) विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी तथा अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित) स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।
				(ix) सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एक्सेल रीट में स्कुटनी आदि के समय डाटा के परीक्षण में उपयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।
				(x) जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनकी काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।
17	जनपद स्तर पर अनुश्रवण।	(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:- (1) जिलाधिकारी- अध्यक्ष (2) मुख्य विकास अधिकारी- उपाध्यक्ष (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी- सदस्य (4) जनपद में स्थित रा0 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो - सदस्य (5) जनपद में स्थित रा0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो-सदस्य (6) जनपद में स्थित रा0 इंजी0 कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो - सदस्य (7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो - सदस्य (8) जिला विद्यालय निरीक्षक -सदस्य (9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) - सदस्य (10) जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य/सचिव	जनपद स्तर पर अनुश्रवण।	यथावत्
		(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन करायेंगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम		यथावत्

	के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।		
	(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी- क- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाएँ। ख- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। ग- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रैंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।		यथावत्
	(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिये आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।		यथावत्
	(v) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित करायी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रैंडमली चयन हेतु		यथावत्

8

		राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रैंडम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेगें और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम-15(ii) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।		
		(vi) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सृजित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजीकों को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, बुक कीपिंग व रिकार्ड कीपिंग, वितरित की गयी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।		यथावत्
18	प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया।	अन्य प्रान्तों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:- (i) 1- प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी। 2- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट 'ग' के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'घ' के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी। 3- छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन में अंकित सूचना को	प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया।	विलोपित

4

अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा तथा ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुए परिशिष्ट "छ" के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

4- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक, समाज कल्याण, निदेशालय उ०प्र० द्वारा एन०आई०सी० (स्टेट यूनिट)लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यू.पी.टी.यू. ए. आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों, बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन एवं बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर डुप्लीकेट डाटा की छटना व परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति को निर्णायक जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के संमक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी।

6- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजीटल सिगनेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा।

7- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन०आई०सी० (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायेगी।

	जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 8-जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 9- तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 10- छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा। 11- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वसीयता कम निर्धारण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फेल्ड ट्रान्जक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।	
	(ii) विलोपित	(ii) यथावत्
	(iii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी एवं साफ्टकापी (डीडी) एवं हार्डडिस्क में नियमावली के नियम-12 (v) में वर्णित व्यवस्थानुसार 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी	विलोपित

		जायेगी।		
19	संशोधन का अधिकार	(i) इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति मा० मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।		यथावत्
20	न्यायालय परिक्षेत्र	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।		यथावत्

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव